(51)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष - आशीष श्रीवास्तव

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक ३७७/दो/११ विरूध्द आदेश दिनांक १४/२/२०११ पारित व्दारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक १२०/२००९-१० निगरानी

1 रामप्रकाश

2 बलराम

पु0हरचरण निवासीगण उडी तहसील भाण्डेर

जिला दतिया - आवेदकगण

- विरूध्द -

1 रघुवीर प्रसाद पु0 रामनाथ

निवासी ग्राम उडी तह0 भाण्डेर जिला दतिया

2 मध्य प्रदेश शासन - अनावेदकगण

श्री मुकेश बेलापुरकर ,अभिभाषक, आवेदकगण

श्री आर0 एस0 सेंगर, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 1

आ दे श

(आज दिनांक 2.3.16 को पारित)

१. यह निगरानी प्र क्र ३७७/दो/११ रा.मं. में म0 प्र0 भू'राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में बाद में केवल संहिता कहा जावेगा) की धारा ५० के अंतर्गत अपर

आयुक्त के प्र क्र १२०/०९-१० निगरानी. में पारित आदेश दि १४-२-११ के विरुद्ध संस्थित हुआ है.

२) प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है.

प्रकरण गैरनिगराकार रघुबीर द्वारा संहिता की धारा ८९ के अंतर्गत अनु अधि, भांडेर को उसकी भूमि के नक़्शे की आकृति सुधारे जाने के लिए दिये गए एक आवेदन से प्रारंभ हुआ, जिसे अनु अधि, भांडेर ने क्र ५/अ-५/०१-०२ पर अपने न्यायालय में संस्थित किया, तथा जिसमें निगराकारपक्ष द्वारा आपत्ती ली गई. वाद विभिन्न न्यायालयों की प्रक्रियाओं से गुज़रा है, जिनका संक्षेप आक्षेपित आदेश में देखा जा सकता है और जिनसे सम्बंधित आदेश आदि नस्ती में अवलोकनीय हैं. उन्हें यहाँ दोहराया नहीं जा रहा है.

वाद विषय में पूर्व में अपर आयुक्त, ग्वालियर ने उनके प्र क्र २११/०१-०२/निगरानी में पारित आदेश दि १४-१-०४ से प्रकरण वरिष्ठ अधिकारी से जाँच कराई जाकर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाकर गुणदोष पर निराकरण के निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया था. अपर आयुक्त के इस आदेश को निगराकार के आवेदन पर रा मं में संस्थित प्र क्र निग/३२१/पीबीआर/०४ के आदेश दि १४-७-०६ से यथावत रखा गया, तथा मान उच्च न्या, मप्र ने रा मं के इस आदेश दि १४-७-०६ के विरुद्ध निगराकार के आवेदन पर संस्थित प्र क्र ४६२९/२००६-डब्ल्यू.पी. को आदेश दि ६-९-०६ से ख़ारिज (dismiss) किया है.

इसी वाद-विषय में कलेक्टर, दतिया ने उनके प्र क्र ३/बी-१२१/०७-०८ के आदेश दि २४-१२-०७ से अनु अधि, भांडेर के समक्ष लंबित प्र क्र ५/अ-५/०१-०२ को, निगाराकार के आवेदन पर, अनु अधि, दतिया को अंतरित किया है.

इस न्यायालय के समक्ष आक्षेपित आदेश दि १४-२-११ से अपर आयुक्त ने अप्र कलेक्टर, दतिया के प्र क्र २५३/बी-१२१/०८-०९ में पारित आदेश दि १८-११-०९ को यथावत रखा है. अपर आयुक्त ने अपने निर्णय के आधार यह लिए हैं कि (१) रा मं एवं मां उच्च न्या के आदेशों के प्रकाश में अपर आयुक्त का पूर्व आदेश दि १४-१-०४ अंतिम हो गया है, (२) अनु अधि से जाँच प्रतिवेदन विधिवत आहूत किया गया है, तथा (३) निगराकार की आपत्ती पर पहले ही एक बार जाँच अधिकारी (अनु अधि, भांडेर से अनु अधि, दतिया) बदला जा चुका है. इन आधारों पर उन्होंने जाँच अधिकारी की रिपोर्ट पर संदेह किये जाने का कोई कारण नहीं पाया है, और यह भी पाया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आपत्तीकर्ता (निगराकार) की आपत्ती पर विधिवत सुनवाई करके उसे अस्वीकार किया है. इन आधारों पर अपर आयुक्त ने निगरानी को अस्वीकार किया है.

अपर कलेक्टर, दतिया के जिस आदेश दि १८-११-०९ के विरुद्ध अपर आयुक्त के समक्ष आक्षेपित आदेश से सम्बंधित निगरानी हुई थी, उसमें लिखे अनुसार अपर कलेक्टर ने निगराकार की ओर से दि ७-१०-०८ को प्रस्तुत इस आपत्ती को अमान्य किया था कि अनु अधि, दतिया ने जो जाँच प्रतिवेदन दि ३-७-०८ को प्रेषित किया था, उसे उन्होंने राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर प्रेषित कर दिया था जबकि वरिष्ठ न्यायालय के (अपर आयुक्त के प्रत्यावर्तन) आदेशानुसार वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जाँच की जानी चाहिए थी. अपर कलेक्टर ने अपने निर्णय के आधार यह लिए हैं कि (१) अनु अधि का प्रतिवेदन स्पष्ट है, और (२) अनु अधि, दतिया एक वरिष्ठ अधिकारी हैं.

अपर कलेक्टर की नस्ती के पृष्ठ ५२ से ५५ पर निगराकार का आपत्ती आवेदन दि ७-१०-०८ अवस्थित है, और आगे के पृष्ठों पर राजस्व निरीक्षक के विभिन्न प्रतिवेदन अवस्थित हैं, साथ ही पृष्ठ ७६ पर एक राजस्व निरीक्षक की

ओर से पात्र दि २९-५-०८ अवस्थित है जिसमें लिखा है कि पूर्व में ३ राजस्व निरीक्षकों द्वारा रिपोर्टें दी गयी हैं, ऐसे में उन रिपोर्टों की जाँच रा नि से ना कराई जाकर किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराई जाए. पृष्ठ ६१ की रा नि रिपोर्ट दि १५-१२-०० के अंत में 'स नं ३५३, ९४९ एवं ९०२ में लाल स्याही से दर्शाए अनुसार दुरुस्ती की जाना उचित है लिखा है'. पृष्ठ ६२ की रा नि रिपोर्ट (मार्किंग दि ६-१२-०१) के अंत में 'सर्वे नंबरों की पूर्ति लाल स्याही से रेखांकित कर सीमा रेखा बनाई गयी है, तथा काली लाइनों को विलोपित किया जाना उचित प्रतीत होता है', ऐसा लिखा है. पृष्ठ ६३-६४ पर अवस्थित रा नि रिपोर्ट दि २७-३-०८ में 'स नं ८९९/१ का रकबा ०.३३ है. मान्य करते हुए वह निगराकार के कब्ज़े में होना लिखा है, और स नं ८९९/२ रकबा ०.०७ है. गैरनिगराकार के कब्ज़े में होना लिखा है; साथ ही रास्ता स नं ४५०/२ के सम्बन्ध में भी अभियुक्ति है'.

३) मैंने प्रकरण में उभयपक्ष के विद्वान अधिवत=कताओं के तर्क सुने. निगराकार अधिवक्ता ने प्रकरण का संक्षेप दोहराते हुए अपर आयुक्त का आदेश निरस्त करने की मांग की. गैरनिगराकार की ओर से कहा गया कि राजस्व निरीक्षक रिपोर्ट स्व-स्पष्ट है, उसके आधार पर आगे कार्यवाही की जनि चाहिए.

४) प्रकरण में तर्कों एवं अभिलेखों के प्रकाश में, जिनका विस्तृत विवरण ऊपर लिखा जा चूका है, मैं निम्न बिंदु प्रमुखता से टीप एवं विचार योग्य पाता हूँ:

1. वाद विषय में पूर्व में अपर आयुक्त, ग्वालियर ने उनके प्र क्र २११/०१-०२/निगरानी में पारित आदेश दि १४-१-०४ से प्रकरण वरिष्ठ अधिकारी से जाँच कराई जाकर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर

दिया जाकर गुणदोष पर निराकरण के निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया था. अपर आयुक्त के इस आदेश को निगराकार के आवेदन पर रा मं में संस्थित प्र क्र निग/३२१/पीबीआर/०४ के आदेश दि १४-७-०६ से यथावत रखा गया, तथा मान उच्च न्या, मप्र ने रा मं के इस आदेश दि १४-७-०६ के विरुद्ध निगराकार के आवेदन पर संस्थित प्र क्र ४६२९/२००६-डब्ल्यू.पी. को आदेश दि ६-९-०६ से ख़ारिज (dismiss) किया है. रा मं एवं मां उच्च न्या के आदेशों के प्रकाश में अपर आयुक्त का यह आदेश दि १४-१-०४ अंतिम माना जाना सही है.

2. इसी वाद-विषय में कलेक्टर, दतिया ने उनके प्र क्र ३/बी-१२१/०७-०८ के आदेश दि २४-१२-०७ से अनु अधि, भांडेर के समक्ष लंबित प्र क्र ५/अ-५/०१-०२ को, निगाराकार के आवेदन पर, अनु अधि, दतिया को अंतरित किया है. अतः, निगराकार की आपत्ती पर पहले ही एक बार जाँच अधिकारी (अनु अधि, भांडेर से अनु अधि, दतिया) बदला जा चुका है.

3. अपर कलेक्टर, दतिया के जिस आदेश दि १८-११-०९ के विरुद्ध अपर आयुक्त के समक्ष आक्षेपित आदेश से सम्बंधित निगरानी हुई थी, उसमें लिखे अनुसार अपर कलेक्टर ने निगराकार की ओर से दि ७-१०-०८ को प्रस्तुत इस आपत्ती को अमान्य किया था कि अनु अधि, दतिया ने जो जाँच प्रतिवेदन दि ३-७-०८ को प्रेषित किया था, उसे उन्होंने राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर प्रेषित कर दिया था जबकि वरिष्ठ न्यायालय के (अपर आयुक्त के प्रत्यावर्तन) आदेशानुसार वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जाँच की जानी चाहिए थी. अपर कलेक्टर ने अपने निर्णय के आधार यह लिए हैं कि (१) अनु अधि का

प्रतिवेदन स्पष्ट है, और (२) अनु अधि, दतिया एक वरिष्ठ अधिकारी हैं.

मैं अपर कलेक्टर के उक्त अभिमत और निष्कर्ष से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि (एक) अपर कलेक्टर की नस्ती के पृष्ठ ७६ पर एक राजस्व निरीक्षक की ओर से लिखित पत्र दि २९-५-०८ अवस्थित है जिसमें लिखा है कि पूर्व में ३ राजस्व निरीक्षकों द्वारा रिपोर्टें दी गयी हैं, ऐसे में उन रिपोर्टों की जाँच रा नि से ना कराई जाकर किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराई जाए, (दो) इसी नस्ती के पृष्ठ ६१ की रा नि रिपोर्ट दि १५-१२-००, पृष्ठ ६२ की रा नि रिपोर्ट (मार्किंग दि ६-१२-०१), तथा पृष्ठ ६३-६४ की रा नि रिपोर्ट दि २७-३-०८, अलग-अलग और एक साथ, दोनों तरीकों से, देखने पर विषय में पूर्ण स्पष्टता उपलब्ध नहीं करातीं, और (तीन) प्रकरण में, अपर आयुक्त के मूल निर्देशानुसार, वरिष्ठ अधिकारी ने ना तो स्वयं मौका निरीक्षण किया है और ना ही उनके स्तर से स्वयं उनकी बुद्धि का उपयोग किया गया होने का आभास होता है.

५) उपरोक्त के प्रकाश में, मैं अपर आयुक्त का आक्षेपित आदेश दि १४-२-११ स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस आदेश के माध्यम से अपर कलेक्टर के उस आदेश को यथावत रखा है जिसके द्वारा अपर कलेक्टर ने निगराकार की दि ७-१०-०८ की आपत्ती निरस्त की थी और अनु अधि द्वारा बगैर स्वयं कोई कार्यवाही किये हुए राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर अपना प्रतिवेदन आगे भेज दिया गया था. अतः, मैं इस आक्षेपित आदेश को निरस्त करते हुए यह निगरानी स्वीकार करता हूँ.

साथ ही, मैं अपर कलेक्टर, दतिया को यह निर्देश देता हूँ कि वे प्रकरण में मौके एवं अभिलेखों की जाँच पहले एक संयुक्ज्त दल से कराएं जिसमें अनु. अधि., दतिया के साथ जिले के अधीक्षक भू-अभिलेख और दो राजस्व निरीक्षक एवं दो पटवारी हों. यह दल उभयपक्ष एवं समस्त हितबद्ध पक्षकारों और सरहद्दी कृषकों के समक्ष मौका जांच करे और उनको सुनवाई का अवसर देते हुए बंदोबस्त से पहले और बाद के, समस्त सुसंगत अभिलेखों, नक्शों आदि का परीक्षण करे. इस दल द्वारा ऐसी कार्यवाही के बाद प्रतिवेदन अपर कलेक्टर को दिया जाए, जिसके बाद अपर कलेक्टर अपने न्यायालय में समस्त अभिलेखों, साक्ष्यों आदि के प्रकाश में एवं उनके आधार पर तथा समस्त हितबद्ध पक्षकारों और सरहद्दी कृषकों को सुनवाई का अवसर देते हुए, प्रकरण में विस्तार से बोलते स्वरुप का निर्णय पारित करें. यह समस्त कार्यवाही कराते और करते हुए, अपर कलेक्टर, उन्हें रा मं के इस आदेश की संसूचना के अधिकतम ६ माह के भीतर, अपना आदेश पारित करें.

आदेश पारित.

पक्षकार एवं अपर कलेक्टर, दतिया सूचित हों.

प्रकरण समाप्त.

दा द हो.

2.3.16

आशीष श्रीवास्तव

सदस्य

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश

ग्वालियर